राजस्व आवेदन संख्या :– 07/2022 अनवान – मोटाराम बनाम देवीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2022	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा उण्डू के खसरा नम्बर 1242/555 रकबा 0.2023 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसके केवल प्रार्थीगण ही रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत के चारों तरफ कदीमी माठों पर चीणों के टुकड़े गाड़कर लोह की कंटीली तार से तारबंदी की हुई, जिसमें प्रार्थीगण पीढियों से काबिज है। प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर काबिज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के सेढा पडौसी होने के कारण उनकी नीयत में खोट आ जाने से विवादित आराजी ग्राम उण्डू की आबादी भूमि से सटी हुई होने से बेशकीमती भूमि होने के कारण विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में कब्जा करने के आशय से सेढा पर लगे टुकड़ों को तोड़कर रांगे खोदने को आमादा है। विप्रार्थीगण अगर प्रार्थीगण की भूमि के सेढा पर लगी तारबंदी को हटाकर एवं टुकड़ों को तोड़कर जबरन एवं बलपूर्वक प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकेगी। विवादित आराजी के केवल प्रार्थीगण ही रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर रहवासी घर सहित तारबंदी कर अपने खेत में काबिज होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत की भूमि की नेखमबंदी हेतु एक आवेदन न्यायालय में पेश कर रखा है, जिसको विप्रार्थीगण जानबूझकर लंबित कर प्रार्थीगण को अपने खेत से जबरन बेदखल कर रहे है। ऐसी स्थिति में भी अगर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण के अधिकारों के साथ कुठाराघात होगा। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि ग्राम पंचायत उण्डू की आबादी भूमि से सटी हुई होने से बेशकीमती भूमि है तथा ग्राम उण्डू वक्त सेटलमेंट से खालसा होने से ग्राम उण्डू की जमीन ओवरलेपिंग की श्रेणी में आती है, जिस कारण एक खातेदार की भूमि दूसरे खातेदार के खेत में पैमाइश से चली जाती है। इस प्रकार विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को बिना सूचना दिये एवं बिना किसी सक्षम आदेश के सीमाज्ञान करवाकर माननीय न्यायालय मौका फर्द पेश ही है, वह मौका फर्द विधि विरूद्ध है। ओवरलेपिंग के मामलों में उक्त विवादित भूमि की एक राजस्व अधिकारियों की टीम गठित की जाकर या सेटलमेंट विभाग से टीम गठित की जाकर पैमाइश की जाती है तो ही उक्त समस्या का स्थाई निराकरण संभव हो पायेगा। ऐसी स्थिति में जब तक प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच राजस्व टीम ... सीमा चिन्हों से बिन्दु स्थाई रूप से कायम नहीं किये जाते तब तक प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ... भूमि के सेढा लगे हुए चीणों के टुकड़ों व तारबंदी को ... तथा प्रार्थीगण के खेत में पत्थर डालकर व रांगे खोदकर किसी प्र... का कब्जा नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।	

सहायक कलेक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.23 17:37:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

इसके विपरीत विप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अलग है तथा हम विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अलग है। प्रार्थीगण हम विप्रार्थीगण की नेखमबंदी के पत्थर तोड़ दिये, इसलिए हमने प्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसके सी आर नम्बर 293/2021 है तथा प्रार्थीगण हम विप्रार्थीगण के खेत में प्रवेश करना चाहते है तथा हमारे साथ झगड़ा फसाद करने पर उतारू है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावें।

– धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाये कि :–

(क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किया जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने (Alienated) के खतरे में है, या

(ख) उक्त वाद या कार्यवाही के संबंद्ध में कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस संपत्ति को हटाने

या उसका व्ययन (Disposal) करने की धमकी देता है या विचार रखता है :–

– तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है ....

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में वर्णित विवादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने से होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि के सेढा पर लगे हुए चीणों के टुकड़ों व तारबंदी को हटाकर प्रार्थीगण के खेत में पत्थर डालकर व रांगे खोदकर कब्जा किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता। ग्राम उण्डू की जमीन ओवरलेपिंग होने से एक अनुभवी राजस्व टीम द्वारा जब तक उक्त भूमि की पैमाइश नहीं की जाती है, तब तक विवाद रहने से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा उण्डू, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 1242/555 रकबा 0.2023 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आश्य का अस्थाई स्थगन आदेश विप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.23 17:57:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला-बाड़मेर